



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256130
CG-DL-E-07082024-256130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3033]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946

No. 3033]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/SHRAVANA 15, 1946

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का.आ. 3182(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	श्री मदन विभीषण नागरगोज, आईएएस, आयुक्त, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के तहत मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर नामित

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2024

S.O. 3182(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Shri Madan Bibhishan Nagargoje, IAS, Commissioner of Sericulture, Department of Sericulture, Govt. of Madhya Pradesh	Nominated on the recommendation of Govt. of Madhya Pradesh under Section 4(3) (g) of the Act.

[F. No. 25011/17/2019-Silk]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.